प्रेस नोट दिनांक 21.07.2024

थाना फतनपुर , जनपद प्रतापगढ़

हत्या करके घर के आंगन में गाड़ा शव, बरामद

-गुरुग्राम हरियाणा एव प्रतापगढ़ के थाना फतनपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने किया खुलासा

-16 जून को प्रतापगढ़ के थाना फतनपुर सुवंसा क्षेत्र में हुई थी हत्या की वारदात

-सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था शिवनाथ गुरुग्राम में करता था नौकरी

-गुमशुदा मृतक शिवनाथ के संबध में थाना सदर गुरुग्राम में अभियोग पंजीकृत था

-मृतक के परिजनों की निशानदेही पर आरोपी महिला पुष्पा को पकड़ा गया था

-पुष्पा ने पूछताछ में हत्या और षणयंत्र की पूरी कहानी बताई, दो आरोपी पकड़े

-पुष्पा की निशानदेही पर शिवनाथ का शव, आलाकत्ल 01 बांका, 01 कुल्हाडी बरामद

-अभियुक्ता पुष्पा व उसका पति विनोद गिरफ्तार, दो अभियुक्तों की तलाश में दबिश

प्रतापगढ़। अवैध प्रेम संबधों के चलते महिला ने पति के साथ मिलकर गुरुग्राम निवासी प्रेमी युवक की प्रतापगढ़ में धारदार हथियारों से हत्या कर दी। 16 जून को हुई हत्या की वारदात में महिला की सहेली और उसका पति भी शामिल था। युवक की हत्या करने के बाद चारों अभियुक्तों ने मिलकर युवक के शव को पड़ोस में स्थित सहेली के घर के आंगन में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। युवक की गुमशुदगी के बाद जब पुलिस ने जांच करके हत्याकांड का खुलासा किया तो आरोपी महिला की निशांदेही पर युवक के शव को गुरुग्राम हरियाणा के थाना सदर और प्रतापगढ़ जनपद के थाना फतनपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सहेली के घर से बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके पति को गिरफ्तार है। सहेली और उसके पति की तलाश में दबिश दी जा रही है।

यह रहा घटनाक्रम

दिनांक 19.07.2024 को समय 16.30 बजे हरियाणा राज्य के थाना सदर गुरुग्राम से ASI राकेश, ASI सोनिका व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ एक महिला नाम पुष्पा गौतम (उम्र-35 वर्ष) पत्नी विनोद गौतम निवासीग्राम सुवंसा थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ के साथ थाना फतनपुर पर आए । पुलिसकर्मियों द्वारा साथ लाई गई महिला पुष्पा के संबंध में बताया गया कि इस महिला ने अपनी सहेली पूनम व उसके पति चिंतामणि निवासी सुवंसा थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ के साथ मिलकर तीनों ने शिवनाथ पुत्र सेवक शाह नि0 मनियारी थाना सुप्पी जनपद सीतामढ़ी बिहार का ओवन कम्पनी सेक्टर-

33 गुड़गांव में नौकरी करता था, की हत्या करके शव को पूनम के घर के आंगन में गाड़ रखा है, जिसे चलकर खुदवाकर निकाल कर देखना जरूरी है । इस सूचना पर थाना सदर गुरूग्राम हरियाणा की समस्त फोर्स के साथ चौकी प्रभारी सुवंसा मय हमराह फोर्स को पुष्पा उपरोक्त महिला के साथ घटनास्थल पर गये तो पूनम के मकान पर पूनम व उसका पति चिंतामणि नहीं मिले, तो पुष्पा ने स्वयं आंगन में जाकर वह स्थान दिखाया जहां पर पूनम, पुष्पा व चिंतामणि तीनों ने मिलकर शिवनाथ की हत्या कर शव को गाड़ दिया था ।

प्रकरण के संबंध में उच्चाधिकारीगण को तुरंत सूचना देकर अवगत कराया गया तथा थाना सदर गुरूग्राम हरियाणा के ASI राकेश कुमार एक प्रार्थना पत्र लेकर वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्यालय श्रीमान जिलाधिकारी प्रतापगढ़ गये, घटनास्थल पर फोर्स तैनात किया गया । मृतक के सभी परिजनों को सूचित किया गया ।

महिला से मिलने प्रतापगढ़ गया था शिवनाथ

जांच से ज्ञात हुआ है कि (मृतक) शिवनाथ साह (जाति- ओबीसी) पुत्र सेवक शाह नि0 मनियारी थाना सुप्पी जनपद सीतामढ़ी बिहार का ओवन कम्पनी सेक्टर- 33 गुड़गांव में नौकरी करता था, वहीं पर पुष्पा गौतम पत्नी विनोद कुमार गौतम निवासीग्राम सुवंसा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ काम करती थी, दोनो में प्रेम-प्रसंग थे । पुष्पा का पति विनोद वहीं पर सब्जी बेचता था । दिनांक- 08.06.2024 को पुष्पा अपने पति विनोद के साथ अपने गांव आ गयी थी फिर दि0-16.06.2024 को शिवनाथ शाह सुवंसा जनपद प्रतापगढ़ आ गया था जहां पर पुष्पा ने अपने पति विनोद गौतम व अपनी सहेली पूनम पत्नी चिन्तामणि व चिन्तामणि पुत्र हीरालाल निवासीगण सुवंसा के साथ मिलकर शिवनाथ शाह उपरोक्त को मारकर पूनम के मकान के आंगन में गड्ढा खोदकर शव को दबा दिया था।

शव और आलाकत्ल भी बरामद

आज दिनांक- 20.07.2024 को पुष्पा गौतम की निशादेही पर गुड़गांव पुलिस के साथ SDM रानीगंज प्रतापगढ़ की मौजूदगी में मृतक शिवनाथ उपरोक्त के शव को बरामद किया गया है तथा थाना फतनपुर पर मृतक के बेटे जितेन्द्र की तहरीर पर मु0अ0सं0-151/2024 धारा 302/201 IPC बनाम पुष्पा आदि 04 नफर (पुष्पा पत्नी विनोद गौतम, विनोद गौतम पुत्र रामबहादुर गौतम, पूनम पत्नी चिन्तामणि व चिन्तामणि पुत्र हीरालाल) निवासीगण सुंवसा थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ पंजीकृत किया गया है । मुकदमा उपरोक्त में 02 अभियुक्त/अभियुक्ता पुष्पा गौतम व उसके पति विनोद गौतम को आलाकत्ल 01 बांका, 01 कुल्हाडी व 01 तसला के साथ गिरफ्तार किया गया है, नियमानुसार

अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है, फरार अभियुक्त/अभियुक्ता पूनम व उसके पति चिंतामणि की गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-

01. पुष्पा गौतम (उम्र-35 वर्ष) पत्नी विनोद गौतम निवासीग्राम सुवंसा थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

02. विनोद कुमार गौतम पुत्र रामबहादुर गौतम निवासीग्राम सुवंसा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

आलाकत्ल 01 बांका, 01 कुल्हाडी व 01 तसला बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

ASI राकेश, ASI सोनिका, हे0 का0 जगजीत सिंह मुतैना, थाना सदर गुरुग्राम राज्य हरियाणा एवं चौकी प्रभारी सुवांसा, हे0का0 पंकज, म0का0 मीना,म0का0 सारिका थाना फतनपुर पुलिस की संयुक्त रुप टीम

कटने के लिये पश्चिम बंगाल जा रहे गोवंश मुठभेड़ में मुक्त

-थाना लीलापुर पुलिस से गौतस्करों की हुई मुठभेड़, 06 अभियुक्त गिरफ्तार

-मुठभेड़ में अतंजर्नपदीय शातिर अपराधी इश्तियाक के पैर में लगी गोली

-पुलिस ने पिकअप से 11 गोवंश किये बरामद, 06 पशु तस्कर हुए गिरफ्तार

-अभियुक्त इश्तियाक पर प्रतापगढ़, जौनपुर एवं चंदौली मे दर्ज हैं कई मुकदमे

-थाना लीलापुर पुलिस की टीम के साथ गौ तस्करों की हुई मुठभेड़

-*घायल अभियुक्त के पास 01 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा, 01 कारतूस 315 बोर बरामद

-अभियुक्तों के कब्जे से 03 तमंचा 315 बोर, 04 खोखा कारतूस 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 वर्ना कार, 01 पिकअप, 01 मोटरसाईकिल, रस्सी , गौकशी के उपकरण व 11 राशि गोवंश बरामद किये गये है ।

-थाना लीलापुर ने गिरोह के कुल 06 शातिर पशु तस्करो को किया गिरफ्तार

प्रतापगढ़।

उत्तर प्रदेश में सख्त कानून व्यवस्था और पुलिस के एक्शन मोड से जब गौतस्करों की दाल यहां नहीं गली तो उन्होंने नया ठिकाना पश्चिम बंगाल को बना लिया। मगर, पुलिस ने अपनी सतर्कता से गौतस्करों के इस मंसूबे पर भी ग्रहण लगा दिया। प्रतापगढ़ के थाना लीलापुर पुलिस ने अन्य जनपदों से लाकर पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे 11 गौवंश को मुठभेड़ के बाद मुक्त करा लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गौतस्करों की घेराबंदी कर ली, इस दौरान एक अतंजर्नपदीय शातिर अभियुक्त ने पुलिस पर फायर कर दिया। मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कारवाई में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। पुलिस ने पिकअप वाहन से 11 गोवंश बरामद किये और 06 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया।

घटनाक्रम के मुताबिक शनिवार दिनांक 20.07.2024 को पुलिस को गौतस्करी की सूचना मिली। इस पर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण मे टीम गठित कर चेकिंग शुरू कर दी गई। एलर्ट मोड में चल रही पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक लीलापुर नरेन्द्र सिंह को पशु तस्करों की लोकेशन थाना लीलापुर की सीमा के पास मिली। पशुतस्कर यूपी से बिहार राज्य होते हुए गोवंशीय पशुओं को क्रूरता पूर्वक एक अदद पिकअप वाहन में लादकर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। पुलिस टीम ने ग्राम सुबेदार का पुरवा बरिस्ता थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ की सामिलात बाग वह्द ग्राम देवली के पास में अन्तर्जनपदीय गौ तश्करों से मुठभेड़ की। जिसमें गौ तश्कर इश्तियाक (उम्र-28 वर्ष) पुत्र अब्बास अली नि0ग्राम हण्डौर, थाना लीलापुर के दाहिने पैर में गोली लगी है तथा 05 गौ तश्करो को अवैध असलहे व धारदार हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है।

फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 292/24 धारा 109 बीएनएस व 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियनम बनाम इश्तियाक (उम्र-28 वर्ष) पुत्र अब्बास अली नि0ग्राम हण्डौर, थाना लीलापुर आदि 06 नफर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मु0अ0सं0 292/24 धारा 109 बीएनएस व 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियनम व अभियुक्त इश्तियाक, विजय वर्मा, राकेश यादव को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व अभियुक्त संदीप, दीपक यादव, अब्बास अली को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी का विवरणः-

1-इश्तियाक (उम्र-28 वर्ष) पुत्र अब्बास अली नि0ग्राम हण्डौर, थाना लीलापुर (के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर)

2.-विजय वर्मा पुत्र तेजभान वर्मा निवासी करदहा थाना जलालपुर जनपद जौनपुर उम्र 29 वर्ष (के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर)

3.-राकेश यादव पुत्र धर्मराज यादव निवासी विन्दा थाना फूलपुर जनपद वाराणसी उम्र 26 वर्ष (के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर)

4.-संदीप पुत्र रामसूरत विश्वकर्मा निवासी रामपुर सुबरी खरका थाना जलालपुर जनपद जौनपुर उम्र 30 वर्ष (के कब्जे से एक अदद बडा चाकू)

5.-दीपक यादव पुत्र श्यामलाल यादव निवासी बिन्दा थाना फूलपुर जनपद वाराणसी उम्र 29 वर्ष (के कब्जे से एक अदद बडा चाकू)

6.-अब्बास अली पुत्र इस्लाम निवास हण्डौर नाहर का पुरवा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 55 वर्ष (के कब्जे से एक अदद चापड)ः

गिरफ्तारी व बरादगी का स्थानः-

दिनांक 21.07.2024 को समय 01ः40 बजे रात्रि में ग्राम सुबेदार का पुरवा बरिस्ता थाना लीलापुर की सामिलात बाग वहद ग्राम देवली के पास से।

पूछताछ अभियुक्त

अभियुक्त इश्तियाक उपरोक्त द्वारा बताया गया कि हम लोगों का अंतर्जनपदीय गिरोह है हम अपने गिरोह के लोगों को फोन करके बुलाकर इकठा करते हैं और गोवंशों को पिकअप वाहन में लादकर जौनपुर में इकटठा करतें है और वहां से बड़े ट्रक में लादकर हम लोग बिहार व पंश्चिम बंगाल ले जाते हैं। मौका मिलने पर गौवंशों को काटकर उनका मीट भी बेचतें हैं।

बरामदगी का विवरणः-

1- 03 तमंचा 315 बोर,

2- 03 जिंदा कारतूस 315 बोर,

3- 04 खोखा कारतूस 315 बोर,

4- 01 वरना कार, 01 पिकअप,

5- 01 मोटर साइकिल,

6- प्लास्टिक की रस्सिया 15 अदद

7-एक अदद लकड़ी की ठीहा, एक अदद तराजू, लोहे के दो बाट 500-500 ग्राम के, और 8-एक अदद पिकप गाड़ी बोलेरो बिना नम्बर प्लेट,

9-वरना कार बिना नम्बर प्लेट

10-मोटर साईकिल पैशन प्रो यूपी 72 एएच 4819

11- 11 राशि गोवंश बरामद किये गये है ।

इश्तियाक पुत्र अब्बास अली नि0ग्राम हण्डौर, थाना लीलापुर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 149/18 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ

2. मु0अ0सं0 262/24 धारा 115(2), 191(1), 324(2), 333, 351(2), 352 बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ

अब्बास अली पुत्र इसरत निवासी हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 511/19 धारा 434, 504, 506, 427 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ

राकेश यादव पुत्र धर्मराज यादव निवासी विन्दा थाना फूलपुर जनपद वाराणसी का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 100/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना फूलपुर जनपद वाराणसी

विजय वर्मा पुत्र तेजभान वर्मा निवासी करदहा थाना जलालपुर जनपद जौनपुर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 646/15 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना केराकत जनपद जौनपुर

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरणः-

प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र सिंह मय हमराह 1.उ0नि0 शैलेश यादव, 2.उ0नि0 अमरेश यादव, 3.उ0नि0 अजय सिंह, 4.उ0नि0 अशोक सिंह, 5.उ0नि0 सत्यनारायण सिंह, 6.उ0नि0 सुनील यादव, 7.हे0का0 अजय प्रजापति, 8.का0 राजकिशोर यादव, 9.का0 राहुल सिंह, 10.का0 राहुल कुमार, 11.का0 पवन यादव , 12.का0 प्रमोद यादव , 13.का0 अनिल यादव , 14.का0 गौरव कुमार, 15.का0 हरेन्द्र सिंह 16.हे0का0 नागेन्द्र प्रसाद 17.का0 सौरभ कुमार 18. का0 सुनील यादव 19. का0 विजय यादव 20.चालक का0 अजय यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

दुष्कर्म, धमकी देने के अभियोग में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण-

आरोपी द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोहंडौर में मु0अ0सं0 58/2024 धारा 376, 506 भादवि बनाम 01 व्यक्ति नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

जनपद में थाना कोहंडौर के थाना प्रभारी राधेश्याम मय हमराह द्वारा पुष्पेन्द्र यादव, का0 गौरव बाबू, म0का0 हिना दुबे, चालक सौरभ सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तालाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग एवं विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोहंडौर में पंजीकृत मु0अ0सं0 58/2024 धारा 307, 506 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त 01. कमलेश कुमार पटेल पुत्र रामलाल पटेल निवासी एमएन 18 ए रायपुर कला थाना कोतवाली देहात, प्रतापगढ़ को पुलिस कार्यालय प्रतापगढ़ के सामने से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. कमलेश कुमार पटेल पुत्र रामलाल पटेल निवासी एमएन 18 ए रायपुर कला थाना कोतवाली देहात, प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

थाना प्रभारी कोहंडौर राधेश्याम मय हमराह द्वारा पुष्पेन्द्र यादव, का0 गौरव बाबू, म0का0 हिना दुबे, चालक सौरभ सिंह, थाना कोहंडौर, प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा अलग-अलग प्रकरण में कुल 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना प्रभारी जेठवारा के नेतृत्व में,

उ0नि0 अमित वर्मा मय हमराह हे0का0 शोभनाथ राम, हे0का0 लक्ष्मण यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0नं0 1011/19 धारा 323,324,504,506 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त *रामचन्द्र पुत्र रामसुख निवासी ऊदापुर थाना जेठवारा, जनपद प्रतापग*ढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

उ0नि0 हेमन्त यादव मय हमराह का0 अमित यादव, का0 शैलेश चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0नं0 1653/01 धारा 323,324,147, 504,506 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त फूलचन्द्र पुत्र बाबूलाल निवासी भगत का पुरवा थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

उ0नि0 गणेश दत्त पटेल मय हमराह का0 राजीव यादव, का0 गजेन्द्र द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0नं0 2918/01 धारा 279, 337 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त मुन्ना उर्फ राकेश कुमार यादव पुत्र विश्वनाथ यादव निवासी कटरा गुलाब सिंह थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

उ0नि0 विधानचन्द्र राय मय हमराह का0 अनुराग शुक्ला द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0नं0 320/06 धारा 427, 504, 506 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त मुन्ना पुत्र राजबली निवासी नरायनपुर थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्व प्रभावी कार्यवाही जारी

हत्या के अभियोग से संंबंधित 01 अभियुक्त , 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नरसिंहगढ़ में अभियुक्तगण के द्वारा की गई थी वादिनी के पुत्र की हत्या

घटना का सं्क्षिप्त विवरण-

आरोपीगण द्वारा थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नरसिंहगढ़ में वादिनी के पुत्र की हत्या करने के प्रकरण में थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 143/2024 धारा 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी रानीगंज आदित्य सिंह के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अमरनाथ यादव, हे0का0 राजेश यादव व म0का0 रंजना गौड़ द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज मे पंजीकृत मु0अ0सं0 143/2024 धारा 302 भादवि से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त, 01 अभियुक्ता, 01. राजकुमारी उम्र 55 वर्ष पत्नी राजाराम 02. मनोज उम्र 31 वर्ष पुत्र राजाराम निवासीगण ग्राम नरसिंहगढ़ थाना रानीगंज, प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-

01. राजकुमारी उम्र 55 वर्ष पत्नी राजाराम निवासी ग्राम नरसिंहगढ़ थाना रानीगंज, प्रतापगढ़ ।

02. मनोज उम्र 31 वर्ष पुत्र राजाराम निवासी ग्राम नरसिंहगढ़ थाना रानीगंज, प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अमरनाथ यादव, हे0का0 राजेश यादव व म0का0 रंजना गौड़ थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

चोरी करने जैसे संगीन अपराधों का अभ्यस्त 02 अपराधी गिरफ्तार

गैंगस्टर एक्ट के अभियोग के 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त ग्राम टीना टिटरी थाना लीलापुर व 01अभियुक्त ग्राम सरायजगत थाना लालगंज को गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आपराधिक कृत्य द्वारा आर्थिक, भौतिक व अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से रात्रि में घरों में घुसकर जेवरात,नगदी, आभूषणों की चोरी जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त अपराधी व वर्तमान समय में गैंगलीडर व अपने गैंग के सदस्यों के साथ अपराध में अत्यधिक सक्रिय होने व समाज विरोधी क्रिया क्रलापों में संलिप्तता के संबंधम में थाना स्थानीय पर मुं0अ0स0-425/24 धारा 2/ 3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त, 01. शिव कुमार वर्मा उर्फ राजू पुत्र दशाराम वर्मा निवासी ग्राम टीना टिटरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ , 02.अनुज वर्मा उर्फ रविन्द्र पुत्र राममिलन निवासी ग्राम सरायजगत थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 21.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक अर्जुन सिंह थाना कोतवाली नगर द्वारा मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग, पेंण्डिग विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुं0अ0स0-425/24 धारा 2/ 3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त, 01. शिव कुमार वर्मा उर्फ राजू पुत्र दशाराम वर्मा निवासी ग्राम टीना टिटरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ , 02.अनुज वर्मा उर्फ रविन्द्र पुत्र राममिलन निवासी ग्राम सरायजगत थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. शिव कुमार वर्मा उर्फ राजू पुत्र दशाराम वर्मा निवासी ग्राम टीना टिटरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

02.अनुज वर्मा उर्फ रविन्द्र पुत्र राममिलन निवासी ग्राम सरायजगत थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक अर्जुन सिंह मय हमराह का0 विवके कुमार, का0 वसीम अकरम, का0 चालक अमित कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

हत्या के प्रयास, मारपीट करने,धमकी देने के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम नें थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिपाह महेरी से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष विनीत उपाध्याय के नेतृत्व में दिनांक 21.07.2024 को थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 श्री अनीश कुमार यादव मय हमराह द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान,मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 43/2024 धारा 307,323,504,506 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त संदीप सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह उर्फ सूर्य प्रताप सिंह निवासी ग्राम सिपाह महेरी थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिपाह महेरी से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण-

दिनांक 05.02.2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिपाह महेरी में आरोपीगणों द्वारा बारिश होने के विवाद को लेकर एक राय होकर वादिनी की पुत्री के सर पर कुल्हाड़ी से हमला करने व मारपीट व धमकी देने के प्रकरण में दिनांक 06.02.2024 को थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0

43/2024 धारा 307,323,504,506 भादवि बनाम 03 नामजद अभियुक्तगणों का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 43/2024 धारा 307,323,504,506 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

संदीप सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह उर्फ सूर्य प्रताप सिंह निवासी ग्राम सिपाह महेरी थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 श्री अनीश कुमार यादव मय हमराह हे0 का0 भोलेनाथ, का0 मनीष यादव थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ।